

# राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-5/खेल प्रकोष्ठ) विभाग

क्रमांक : 15(13)/का/क-5/खे. प्र./2023

जयपुर, दिनांक -

- समस्त अति. मुख्य सचिव/प्र. शासन सचिव/  
शासन सचिव, वि. शासन सचिव
- समस्त विभागाध्यक्ष, जयपुर

विषय :- 10<sup>th</sup> राजस्थान राज्य अन्तरसंभागीय सिविल सेवा कबड्डी (पुरुष एवं महिला) खेल-कूद प्रतियोगिता 2023-24 (झालावाड) हेतु आवेदन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक विभाग के तत्वाधान में जिला कलक्टर, झालावाड के माध्यम से 10<sup>th</sup> राजस्थान राज्य अन्तरसंभागीय सिविल सेवा कबड्डी (पुरुष एवं महिला) प्रतियोगिता 2023-24 का झालावाड जिले में दिनांक 27.01.2024 से 29.01.2024 तक आयोजन कराया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में "जयपुर मुख्यालय" की कबड्डी टीम भाग लेगी।

जयपुर मुख्यालय की टीम से शासन सचिवालय, एवं जयपुर स्थित विभिन्न विभागों के प्रधान कार्यालयों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी भाग ले सकेंगे।

यदि आपके अधीन पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक हो तो कृपया दिनांक 15.12.2023 तक सुस्पष्ट पठनीय भाषा में उनका आवेदन पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक अधिकारी से अग्रेषित करवा कर निम्न प्रारूप में खेल अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को email address : aicsraj@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करावें :-

प्रतियोगिता का नाम :- .....

क्र. स.	खेल का नाम	का	अधिकारी/कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री)	पदनाम	पदस्थापन कार्यालय का नाम	मोबाईल न.	Employee id	e-mail id

आवेदन पत्र अस्पष्ट अपठनीय भाषा में, कार्यालय से अग्रेषित नहीं होने की स्थिति में, बिना पीडीएफ फॉर्मेट के, निर्धारित प्रोफार्मा में नही होने की स्थिति में एवं अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने पर स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इस संबंध में यह भी उल्लेख है कि निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे :-

- निगमों/मण्डलों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी,
- ठेका श्रमिक
- संविदा अधिकारी/कर्मचारी
- कार्यप्रभारित अधिकारी/कर्मचारी
- पुलिस विभाग के बैल्टधारी अधिकारी/कर्मचारी

संलग्न : दिशा-निर्देश

भवदीय

(डॉ. मुकुट बिहारी जांगिड)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- सहायक शासन सचिव, कार्मिक (ख-3/स्टोर्स) विभाग, शासन सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि जयपुर मुख्यालय की कबड्डी (पुरुष एवं महिला) टीम के कुल 26 सदस्यों हेतु खेल पोशाक (फुल ट्रेक-सूट एवं नेकर-टी शर्ट) उपलब्ध करवाने का श्रम करावें। खिलाड़ियों के चयन पश्चात चयनित सदस्यों की सूची उपलब्ध करवा दी जावेगी।
- उप निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर न्यूज बोर्ड पर दिनांक 15.12.2023 तक अपलोड/डिस्प्ले कराने का श्रम करावें।

Signature valid



Digitally signed by Mukut Bihari Jangid  
Designation : Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.11.24 15:27:22 IST  
Reason: Approved

## राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-5 / खेल प्रकोष्ठ) विभाग

क्रमांक : 15(9)/का/क-5/खे.प्र./2023

जयपुर, दिनांक -

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्र. शासन सचिव/  
शासन सचिव, वि. शासन सचिव
2. समस्त संभागीय आयुक्त
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
4. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान

**विषय :-** 10<sup>th</sup> राजस्थान राज्य अन्तर्संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता  
2023-24 के आयोजन के संबंध में।

**महोदय,**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्मिक विभाग के तत्वाधान में जिला कलक्टर, झालावाड के माध्यम से 10<sup>th</sup> राजस्थान राज्य अन्तर्संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2023-24 का झालावाड जिले में दिनांक 27.01.2024 से 29.01.2024 तक आयोजन कराया जाना विचाराधीन है।

कृपया प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की सूचना दिनांक 15.12.2023 तक प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता जिला कलक्टर, झालावाड को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिभाशाली अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतियोगिता में व्यापक भागीदारी हो सके, इस हेतु कृपया समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का श्रम करावें।

**संलग्न : दिशा-निर्देश**

भवदीय

(**डॉ. मुकुट बिहारी जांगिड**)

संयुक्त शासन सचिव

**प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. जिला कलक्टर, झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त प्रतियोगितायें के आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
2. उप निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र एवं संलग्न दिशा-निर्देशों को विभागीय वेबसाईट पर न्यूज बोर्ड पर अपलोड/डिस्प्ले कराने का श्रम करावें।

संयुक्त शासन सचिव

**Signature valid**



Digitally signed by Mukut Bihari Jangid  
Designation : Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.11.03 14:44:04 IST  
Reason: Approved

**10<sup>th</sup> राजस्थान राज्य अन्तर्संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2023-24 हेतु दिशा-निर्देश**

- प्रतियोगिता का नाम, अवधि तथा स्थान :-** इस प्रतियोगिता का नाम 10<sup>th</sup> राजस्थान राज्य अन्तर्संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2023-24 होगा। यह प्रतियोगिता दिनांक 27.01.2023 से 29.01.2023 तक झालावाड जिले में आयोजित करवाई जायेगी।
- प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के नाम :-** प्रत्येक खेल प्रतियोगिता में प्रत्येक संभाग से एक-एक टीम तथा जयपुर मुख्यालय से एक-एक टीम भाग लेगी। भाग लेने वाली टीमों के नाम निम्नानुसार है:-

क्र.स.	टीम का नाम	क्र.स.	टीम का नाम
1.	जयपुर संभाग	7.	कोटा संभाग
2.	अजमेर संभाग	8.	बांसवाडा
3.	उदयपुर संभाग	9.	पाली
4.	बीकानेर संभाग	10.	सीकर
5.	जोधपुर संभाग	11.	जयपुर मुख्यालय
6.	भरतपुर संभाग	-	-

**3. खेलवार खिलाड़ियों की संख्या :-**

क्र.स.	खेल का नाम	उपलब्ध कराई जाने वाली खेल पोशाक का विवरण	टीम के सदस्य			कुल खिलाड़ी
			पुरुष	महिला	मैनेजर	
1.	टेबल टेनिस	फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट/बनियान	7 (5+2 Veterans)	-	1	8
2.	वॉलीबॉल	फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट/बनियान	12	-	1	13
3.	कबड्डी	फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट/बनियान	12	12	2	26
4.	टेनिस	फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट/बनियान	7 (5+2 Veterans)	-	1	8
5.	क्रिकेट	लोअर, टी-शर्ट	16	-	1	17
6.	बेडमिंटन	फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट/बनियान	7 (5+2 Veterans)	4	2	13
7.	बॉस्केटबॉल	फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट/बनियान	12	-	1	13
<b>कुल खिलाड़ी</b>						<b>98</b>

**4. टीमों का फ्लेग एवं किट (खेल पोशाक) का रंग :-**

- संभाग की टीमों को अपने संभाग की टीम के ध्वज एवं निर्धारित किट (खेल पोशाक) के साथ ही प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जायेगा।
- खेल पोशाक पर टीम का नाम एवं टी-शर्ट/बनियान पर खेल नियमानुसार चेस्ट नम्बर अंकित होना आवश्यक है।
- सभी टीम के प्रतिभागियों को निर्धारित किट (खेल पोशाक) एवं फ्लेग आयोजनकर्ता (संबंधित जिला कलक्टर) के द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
- टीमों के किट (खेल पोशाक) एवं फ्लेग (6' x 3') का रंग निम्न प्रकार से होगा :-

क्र.स.	टीम का नाम	किट (खेल पोशाक) एवं फ्लेग हेतु निर्धारित रंग
1.	जयपुर संभाग	गुलाबी
2.	अजमेर संभाग	हल्का आसमानी
3.	उदयपुर संभाग	मेहरून
4.	बीकानेर संभाग	काला
5.	जोधपुर संभाग	रामा ग्रीन
6.	भरतपुर संभाग	स्लेटी
7.	कोटा संभाग	हल्का भूरा
8.	बांसवाडा	डार्क ब्लू
9.	पाली	पीला
10.	सीकर	नेवी ब्लू
11.	जयपुर मुख्यालय	सफेद

**5. प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता :-**राजकीय विभागों में नियमित रूप से नियुक्त सभी संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी पात्र होंगे।

**6. प्रतियोगिता में भाग लेने की अपात्रता :-** निगमों/मण्डलों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, ठेका श्रमिक संविदा अधिकारी/कर्मचारी, कार्यप्रभारित अधिकारी/कर्मचारी एवं पुलिस विभाग के बैल्टधारी अधिकारी/कर्मचारी अपात्र होंगे।

**7. प्रतियोगिता (इवेन्ट) का निरस्तीकरण :-**

- टेबल टेनिस, टेनिस एवं बेडमिंटन में पर्याप्त एवं स्तरीय प्रविष्टि प्राप्त नहीं होने पर संबंधित खेल के इवेन्ट को निरस्त करने का अंतिम निर्णय आयोजन समिति के अध्यक्ष का होगा।
- महिलाओं की श्रेणी में कम से कम 4 एन्ट्री प्राप्त होने पर ही प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।
- प्रतियोगिता का प्रचार-प्रसार :-** संबंधित जिला कलक्टर/संबंधित विभागों द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए की गई कार्यवाही का पत्र/आदेश की प्रति संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाई जायेगी तथा समाचार पत्र/SMS/e-mail/whatsapp के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

**8. टीम के चयन की प्रक्रिया :-**

- संभाग की टीम के चयन हेतु :-** संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा अपने संभाग की टीम के चयन ट्रायल के लिए खिलाड़ी अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से निम्न प्रारूप में आमंत्रित करेंगे :-

क्र.स.	खेल का नाम	नाम	पदनाम	सं.सं.	मोबा.नं.	e-mail id
--------	------------	-----	-------	--------	----------	-----------

- जयपुर मुख्यालय की टीम के चयन हेतु :-** जयपुर मुख्यालय शासन सचिवालय, जयपुर एवं स्थित विभिन्न विभागों के प्रधान कार्यालयों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से निम्न प्रारूप में आमंत्रित करेंगे :-

क्र.स.	खेल का नाम	नाम	पदनाम	सं.सं.	मोबा.नं.	e-mail id
--------	------------	-----	-------	--------	----------	-----------

- विभाग द्वारा किसी खिलाड़ी अधिकारी/कर्मचारी को रिलीव नहीं करने का निर्धारित समय पर स्पष्ट कारण सहित पूर्ण सूचना भिजवानी होगी।

**Signature valid**

Digitally signed by Mukul Bihari Jangid  
Designation: Joint Secretary to Government  
Date: 2023.11.03 14:44:04 IST

- यदि कर्मचारी/अधिकारी स्वयं विभागाध्यक्ष है, तो प्रशासनिक विभाग को भी प्रति भिजवानी होगी।
- प्रत्येक प्रतियोगी को अपने नियंत्रणाधीन अधिकारी से नवीन पासपोर्ट साईज के फोटो युक्त परिचय पत्र प्रमाणित करवाकर साथ लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगी को प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- आवेदन पत्रों का संकलन :- संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा अपने संभाग की टीम के चयन ट्रायल के लिए प्राप्त उक्त प्रारूप में भिजवाई जायेगी।
- चयनित टीम की सूचना :- संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा अपने संभाग की टीम के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदन पत्रों की सूचना खेलवार संकलित कर संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अनुसार उपस्थित खिलाड़ियों में से टीम का चयन कर सूचना निम्न प्रारूपानुसार प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता को भिजवाते हुये प्रतिलिपी संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाई जायेगी :-

- प्रतियोगिता का नाम
- टीम का नाम
- खेल का नाम
- चयन ट्रायल का स्थान
- चयन किये जाने खिलाड़ियों की संख्या
- चयनित खिलाड़ियों का विवरण निम्न प्रारूपानुसार

क्रसं	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	e-mail id
-------	------------	-----	-------	-------	-----------	-----------

- हस्ताक्षर चयनकर्ता (नाम मय पदनाम)

- रिजल्ट शीट :- खेल में चयन हेतु तैयार की गई रिजल्ट शीट भी भेजी जावें।

#### 9. प्रतियोगिता का प्रारूप :-

- प्रतियोगिता में किसी भी टीम के निर्धारित समय से 15 मिनट पश्चात् तक भी प्रतियोगिता स्थल पर रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में उपस्थिति विपक्षी टीम को वॉकओवर देकर विजेता घोषित कर दिया जायेगा।
- यदि किसी प्रतियोगी को रैफरी के निर्णय पर कोई आपत्ति हो तो वह मैच समाप्त होने के आधा घण्टे के भीतर रु. 500/- जमा कराकर प्रोटेस्ट कर सकता है।
- प्रोटेस्ट पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- मैच के दौरान अनुशासनहीनता पर खिलाड़ी को प्रतियोगिता से रैफरी के द्वारा बाहर किया जा सकता है।
- अनुशासनहीनता की अपील बाद में आयोजन समिति को आधे घण्टे में करनी होगी, जिस पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- कर्मचारी/अधिकारी एक खेल में ही भाग ले सकेंगे। दो खेलों में भाग लेने पर संबंधित टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा।

#### 10. अनुशासनात्मक कार्यवाही:-

- खेल प्रतियोगिता अवधि के दौरान सभी खिलाड़ियों को पूर्ण रूप से खेल अनुशासन एवं राजकीय सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए भाग लेना होगा। अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित खिलाड़ी/टीम के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

#### 11. खेल के नियम :-

- प्रतियोगितायें वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय स्तर के नियमों के आधार पर आयोजित की जायेगी।
- प्रतियोगिता के दौरान रैफरी का निर्णय अंतिम होगा।
- सभी मैच लीग कम नॉक आउट आधार पर खेले जायेंगे।
- प्रतियोगिता टीम स्पर्धा के रूप में आयोजित की जायेगी।
- टेबल टेनिस, टेनिस एवं बेडमिंटन में सभी मैच बेस्ट ऑफ थ्री के फॉरमेट में आयोजित किये जायेंगे। प्रथम मैच पुरुष डबल, द्वितीय मैच वेटर्न (45 वर्ष से उपर) डबल, तृतीय मैच पुरुष सिंगल का होगा।

#### 12. राज्य सरकार द्वारा देय सुविधा :-

- प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कार्मिकों को नियमानुसार विशेष आकस्मिक अवकाश (Sports) एवं टीए/डीए देय होगा।

#### 13. प्रतियोगिता में तकनीकी सहयोग :-

- रैफरी को रु. 300/- प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जायेगा।
- प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए क्वालीफाईड रैफरी संबंधित स्थानीय संघ/शिक्षा विभाग से लिये जायेंगे।
- आयोजनकर्ता के सहयोग हेतु खेल अधिकारी, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ऑब्जरवर के रूप में उपस्थित रहेंगे।

#### 14. आयोजनकर्ता के कार्य :-

- उद्घाटन एवं समापन समारोह की व्यवस्था।
- प्रतियोगिता अवधि एवं समारोह के लिए टेंट/माईक आदि की व्यवस्था।
- प्रमाण-पत्र, पुरुस्कार (रनर एवं विनर) एवं स्मृति चिन्ह की व्यवस्था।
- प्रतियोगिता के संचालन, मैदान एवं खेल उपकरण की व्यवस्था।
- टीमों के आवास व्यवस्था आदि।
- अन्य आवश्यक व्यवस्था एवं कार्य।
- प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार का वाद-विवाद होने पर अंतिम निर्णय आयोजनकर्ता का होगा।
- प्रतियोगिता आयोजनकर्ता प्रतियोगिता की प्रगति रिपोर्ट मान. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

Signature valid

RajKaj Ref  
5007281

(डॉ. मुकुट श्री जांगिड)  
Digitally signed by Mukut Shri Jangid  
Designation : Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.11.03 14:44:04 IST  
Reason: Approved